जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, नवादा।

E-mail :- mdmnawada@gmail.com, Phone no. 06324-217689

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक – 2226 दिनांक 20.11.17, पत्रांक 193 दिनांक 29. 0118 एवं पत्रांक 1218 दिनांक 10.07.18 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निम्न प्रखण्डों में संवेदक के चयन हेतु निम्न शर्तों के अधीन निविदा विहित प्रपत्र (विहित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है) में आमंत्रित की जाती है। :–

1. अकबरपुर 2. रोह 3. मेसकौर 4. गोविन्दपुर 5. सिरदला

1. निविदादाताओं को 15 पंचायत तक के प्रखण्ड हेतु 5 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखण्ड के लिए 8 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध कराएंगें। इनमें से न्यूनतम दो वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य होगा। स्वयं का ज्यादा वाहन होने पर भी प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध कराएंगें।
2. निविदादाताओं को 50000.00 (पचास हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा, (जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से देय होगा) जो संवेदक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय में जमा रहेगा।
3. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पाएगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर 50000.00 (पचास हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि चेक/ड्राफ्ट से वापस कर दिया जाएगा।
4. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा राशि 50000.00 (पचास हजार रू0) जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
5. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अंदर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा आपेक्षित संख्या में संबंधित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0 एफ0 सी0 (राज्य खद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।
7. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या आपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कर्रवाई किया जाएगा।
8. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखण्ड के लिए निविदा स्वीकार होगा। एक से अधिक प्रखण्ड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखण्ड का Option (विकल्प) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
9. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहन का ही उपयोग किया जाएगा। ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेन्ट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेन्ट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न एवं उक्त प्रखण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी का मोबाईल न0, जिला कार्यालय का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।
10. सभी वाहनों पर चयनोपरांत GPS लगाना अनिवार्य होगा।

जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, नवादा।

E-mail :- mdmnawada@gmail.com, Phone no. 06324-217689

11. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से करा कर निविदा में संलग्न करना होगा कि "मैं कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हैं।" उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाए जाने पर निविदा रद्द कर दिया जाएगा।
12. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र नोटरी से करा कर निविदा में संलग्न करना होगा कि "वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किए गए सभी कागजातों की सूचना सही है। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
13. वाहन एकरारनामा से संबंधित सभी आवश्यक कागजात – यथा ऑनर बुक, इन्श्योरेंश, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेश एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खीचा हुआ तीन कलर फोटो/आई0 डी0 प्रुफ/आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप संलग्न करना होगा।
15. संवेदक को Weighing मशीन से तौलकर विद्यालय में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए ही किया जाएगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
17. एक चयनित संवेदक से तीन वर्ष तक ही कार्य लिया जाएगा तथा तीन वर्ष के बाद अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा।
18. निविदादाता बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
19. संवेदक का चयन जिस प्रखण्ड के लिए किया जाएगा, उसके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखण्ड के लिए ही मान्य होगा।
20. आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर सभी संबंधित कागजातों के साथ लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में प्रखण्ड का नाम (जिस प्रखण्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं) एवं मोबाईल नम्बर लिखा जाना अनिवार्य है।
21. निविदा अपराह्न 05.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक एव स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। उसके बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं होगा।
22. निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त सभी निविदा को जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलास्तरीय चयन समिति के समक्ष सभी निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा।
23. निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 दिन तक निविदा कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 दिन के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. चयन के लिए जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी समय पर निविदा रद्द करने का पूरा अधिकार जिला पदाधिकारी का होगा।

जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, नवादा।

E-mail :- mdmnawada@gmail.com, Phone no. 06324-217689

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक – 2226 दिनांक 20.11.17 एवं पत्रांक 193 दिनांक 29.01.18 एवं पत्रांक 1218 दिनांक 10.07.18 में निहित आदेश तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

निविदा निम्नांकित पता पर निबंधित डाक से भेजा जाय :–
जिला मध्याह्न भोजन योजना समिति, नवादा।
सरकारी बस पड़ाव के पास,
मो0 – राजेन्द्र नगर,
जिला – नवादा (बिहार)
पिन – 805110

विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट **www.nawada.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
नवादा।